(वाद सं0.-6572/4/10/2022)

09-08-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, मनीषा देवी, की संस्था, वीमेन्स डेवलपमेन्ट सोसाइटी, दरभंगा, द्वारा दरभंगा जिला के बहादुरपुर, प्रखंड, के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से संबंधित सभी कार्यो का, योजना बंद होने तक, सफलतापूर्वक निष्पादन करने के बावजूद भी, उप विकास आयुक्त, दरभंगा के द्वारा लंबित ₹1,35,000.00 (एक लाख पैतीस हजार) रूपये का प्रोत्साहन की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **उप विकास आयुक्त दरभंगा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **उप विकास आयुक्त, दरभंगा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को उसके लंबित ₹1,35,000,00(एक लाख पैंतीस हजार) रूपये से संबंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उक्त के प्रमाण स्वरूप सुसंगत साक्ष्य भी अनुलग्नित किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **उप विकास आयुक्त, दरभंगा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **उप विकास आयुक्त, दरभंगा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अन्लग्नको सहित (पृष्ठ–12–11/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

उप सचिव